बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

बिहार, महेन्द्रू, पटना–06

प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा–2016

संशोधित परीक्षाफल प्रकाशन से सम्बन्धित सूचना

बिहार प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त्त नियमावली 2006 एवं 2008 के अनुसार नियोजित प्रारम्भिक शिक्षकों (पंचायत शिक्षक, प्रखण्ड शिक्षक एवं नगर शिक्षक) के लिये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, महेन्द्रू, पटना द्वारा दिनांक 19.07.2016 को प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा 2016 का आयोजन किया गया । परीक्षा संपन्न होने के उपरान्त राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के द्वारा उक्त परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के provisional model answer पर परीक्षार्थियों से आपत्ति की माँग की गई । उक्त आपत्तियों का निष्पादन हेतु गठित विषय–विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसा किया गया कि सामान्य शिक्षक के 7 प्रश्न, शारीरिक शिक्षक के 5 प्रश्न एवं उर्दू शिक्षक के 10 प्रश्न त्रुटिपूर्ण अथवा प्रश्न के उत्तर गलत अथवा विकल्प के अनुसार प्रश्न उपयुक्त नहीं थे। ऐसे सभी त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को छाँटकर पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक निर्धारित कर निम्नवत् निर्देशानुसार परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया :–

	शिक्षक के प्रकार	गलत प्रश्नों की सं0	कुल सही प्रश्नों की सं0 (पूर्णांक)	उत्तीर्णांक	
				सामान्य कोटि (45%)	आरक्षित श्रेणी (40%)
1	सामान्य शिक्षक	07	93	42	37
2	शारीरिक शिक्षक	05	95	43	38
3	उर्दू शिक्षक	10	90	41	36

परीक्षफल प्रकाशन के उपरान्त कतिपय आवेदकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-7199/2017, 1156/2017, 9536/2017 एवं समान प्रकृति के अन्य वाद में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के बदले में समान अंक प्रदान करते हुए पूर्णाक 100 एवं उत्तीर्णांक सामान्य हेतु 45 एवं आरक्षित श्रेणी हेतु 40 अंक निर्धारित कर परीक्षाफल प्रकाशन हेतु अनुरोध किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित CWJC No.-7199/2017, 1156/2017, 9536/2017 एवं अन्य वाद में दिये गये निर्णय के आलोक में शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में वैसे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने त्रुटिपूर्ण प्रश्नों का कोई भी विकल्प का उत्तर दिया है अथवा भ्रम की स्थिति में उत्तर देने का प्रयास नहीं किया है, ऐसे सभी परीक्षार्थियों को सभी त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के बदले में समान अंक प्रदान कर पूर्णाक 100 निर्धारित करते हुए उत्तीर्णांक सामान्य श्रेणी के लिये 45 अंक एवं आरक्षित श्रेणी के लिये 40 अंक पर परीक्षाफल निम्नवत् संशोधित किया गया है :–

	शिक्षक के प्रकार	निर्धारित पूर्णांक	उत्तीर्णांक	
			सामान्य कोटि	आरक्षित श्रेणी
1	सामान्य शिक्षक	100	45 अंक	40 अंक
2	शारीरिक शिक्षक	100	45 अंक	40 अंक
3	उर्दू शिक्षक	100	45 अंक	40 अंक

संशोधित परीक्षाफल राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के website www.biharscert.com एवं www.educationbihar.gov.in पर उपलब्ध है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने कार्यालय के जिम्मेवार पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त करेंगे जो Revised Result Card दिनांक 08 से 10 अपैल 2019 तक परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर सभी परीक्षार्थी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

28/3/19

विनोद कुमार सिंह

निदेशक

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद,

बिहार, महेन्द्रू, पटना–06